UPBJ240001151999

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद।

दाण्डिक वाद सं0 333/2002

सरकार बनाम सरदूल सिंह

10–05–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सरदूल सिंह की आज की हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्राप्त होकर अभियुक्त की आज की हाजिरी जरिए अधिवक्ता माफी की गई।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुधीर कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र ब–37 अन्तर्गत धारा 311 पैरा –।। दं.प्र.सं. प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र में वर्णित साक्षीगण को आहूत कर साक्ष्यांकन कर उक्त वाद का निस्तारण किए जाने की याचना की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर घोर आपत्ति का पृष्ठांकन किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सह–अभियुक्त सतीश उर्फ सतेन्द्र द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति किए जाने के आधार पर उसे दोषसिद्ध किया गया तथा उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया गया। तदोपरान्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सरदूल सिंह के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दि0 19.11.2011 को आरोप विरचित कर पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई तथा 19.11.2011 के उपरान्त से दि0 24.09.2018 तक भिन्न–भिन्न तिथियां अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई, तथा अभियोजन को दि. 24.09. 2018 को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दि0 17.10.2018 नियत की गई। किन्तु अभियोजन द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 17.10. 2018 द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर पत्रावली अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. हेतु नियत की गई तथा दि0 09.03.2022 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दर्ज कर अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किए जाने के कारण पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। एक लम्बे अंतराल के उपरान्त विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र ब–37 अन्तर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त

अवसर दिए जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर भी न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर पत्रावली में अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दर्ज कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई थी। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मात्र उक्त वाद में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से दिया गया प्रतीत होता है। उक्त वाद अत्यन्त ही प्राचीन प्रकृति का है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राचीन वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु आदेश जारी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन का प्रार्थनापत्र ब–37 निरस्त किया जाता है।
पत्रावली वास्ते बहस दि0 25.05.2022 को पेश हो।

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212
10.05.2022